<u>सप्तदश माला, खंड 24, अंक 25</u> **<u>गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023</u>**

16 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 24 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

06-04-2023

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 24, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 25, गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023 / 16 चैत्र, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
विदाई उल्लेख	6-8
राष्ट्रगीत	8

<u>लोक सभा के पदाधिकारी</u>

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023 / 16 चैत्र, 1945 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

विदाई उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम सत्रहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 31 जनवरी, 2023 को आरम्भ हुआ था।

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

इस समय, सुश्री एस. जोतिमणि, डॉ. थोल तिरूमावलावन, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सत्र के दौरान हमने 25 बैठकें कीं, जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चलीं। माननीय राष्ट्रपति जी ने 31 जनवरी, 2023 को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 13 घंटे 44 मिनट तक चली और इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के अंत में, माननीय प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया। माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद-विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया और वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों को सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सत्र के दौरान, 8 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए तथा 6 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। प्रश्न काल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के कुल 133 मामले उठाए गए तथा नियम 377 के अधीन कुल 436 मामले लिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लोक सभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निदेश 73क के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए तीन वक्तव्यों सहित 23 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान 2799 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनका योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण-व्यवहार है, वह संसद के लिए और देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण-व्यवहार ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन चर्चा और संवाद के लिए है। मैं हर विषय पर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। आप वेल में आ रहे हैं। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। मैंने हमेशा आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। देर

रात्रि तक सदन चला है, लेकिन आपका व्यवहार सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए लोक सभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे ‘वन्दे मातरम्’ की धुन के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित